बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

संचिका संख्या– पी०पी०एम० – 11 / 18– 1547 * /कृ०, पटना, दिनांक 27 मार्च, 2018

प्रेषक,

धनन्जयपति त्रिपाठी,
निदेशक, पी० पी० एम०,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी(सभी)।

विषय : **वित्तीय वर्ष 17–18 के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, रा० कृ० वि० योजना की उपयोजना हरित क्रान्ति योजना एवं नमूप योजना के कार्यघटक कृषि यांत्रिकरण मद में राशि शतप्रतिशत व्यय करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 17–18 के तहत विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान, गेहूँ, मक्का, जूट, दलहन, अतिरिक्त दलहन) एवं टी० एफ० आर० ए० दलहन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना हरित क्रान्ति योजना (धान एवं गेहूँ) एवं नमूप तथा TFRA (आपात सीडस) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इन योजनाओं में कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में बहुत सारे यन्त्रों पर अनुदान दिए जाने का कार्यक्रम है एवं विभाग द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए राशि भी आवंटित की गयी है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश 60% एवं राज्यांश 40% यानि स्वीकृत राशि का 60% भारत सरकार एवं 40% बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

2. इन योजनाओं के अतिरिक्त कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने हेतु कृषि रोड मैप 17–22 के अन्तर्गत राज्य योजना मद से चालू वित्तीय वर्ष 17–18 में 180 करोड़ की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

3. मुख्यालय स्तर पर समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रायः राज्य योजना से संबंधित कार्ययोजना कृषि यांत्रिकरण में स्वीकृत एवं आवंटित राशि का व्यय किया जा रहा है एवं मात्र इसी योजना का अनुश्रवण राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में कृषि यांत्रिकरण के नोडल पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि का खर्च कृषि यांत्रिकरण मद में नहीं किया जा रहा है।

4. जिला कृषि पदाधिकारी को विभाग द्वारा यह दायित्व दिया गया है कि वे सर्वप्रथम केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि व्यय करें एवं उसके बाद हीं राज्य योजना मद से स्वीकृत कृषि यांत्रिकरण योजना की राशि व्यय करें। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का शत प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की जाय। इसके पश्चात हीं राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त की जाय।

5. उपरोक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त निदेशित किया जाता है कि सर्वप्रथम केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम का शत प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की उपलब्धि प्राप्त की जाय। केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्ति पश्चात राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त की जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(धनन्जयपति त्रिपाठी) 27/3/18
निदेशक, पी० पी० एम०
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1547 दिनांक : 27/3/2018

प्रतिलिपि : प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पी० पी० एम० 27/3/18
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1547 दिनांक : 27/3/2018

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, कृषि अभियंत्रण–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन/नमूप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश के आलोक में अपने स्तर से अनुश्रवण कर केन्द्रांश की राशि का खर्च शत प्रतिशत करवाना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक, पी० पी० एम० 27/3/18
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1547 दिनांक : 27/3/2018

प्रतिलिपि : कृषि उत्पादन आयुक्त के वरीय निजी सहायक/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पी० पी० एम० 27/3/18
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1547 दिनांक : 27/3/2018

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर/उप निदेशक(शष्य) सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट एवं संबधित ईमेल भेजने हेतु प्रेषित।

निदेशक, पी० पी० एम० 27/3/18
कृषि विभाग, बिहार, पटना।